

प्रेम्क,

ममता श्रीवास्तव,  
उप राक्षिब,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समूदाय केन्द्र,  
प्रगति बिहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ दिनांक: 04 जून, 2008

विषय :- सिटी इन्टरनेशनल स्कूल इन्दिरानगर, लखनऊ का सी0वी0एल0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनारगति प्रमाण पत्र दिया जाता।


महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संबन्धित विद्यालय को सी0वी0एल0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनारगति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबंधों के अर्थात् आपत्ति नहीं है:

- (1) विद्यालय की एजाकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/ केसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में निम्नलिखित कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संकल्पना संटल बोर्ड ज्यूस संकल्पना एनूकेशन नईदिल्ली/कोरसल फार दि इण्डियन स्कूल सर्वाफिकेट इन्वैस्टिगेशन नईदिल्ली से प्राप्त होता है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षण कर्मचारियों का राजकीय उदायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य चलों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्त नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा एवं सहायता जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियंत्रण का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

-2-

B.O.C



*Belgawal*  
PRINCIPAL  
CITY INTERNATIONAL SCHOOL  
MANAS CITY, INDIRA NAGAR, LUCKNOW

ASST./DEPUTY SECRETARY (A.E.)



- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे सस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकृतों में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबंध यह भी होगा कि विद्यालय भूमि का लीज होड की 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर लीज होड की अवधि पुनः बढ़ा ली जायेगी।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की षूबा या शिथिलता परती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनपेक्षित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)

उप सचिव।

पू0नं0या एवं विनांक तारीख


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(मह0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मध्यस्थीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- 4- निरीक्षक, जॉबल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
- ✓ 5- प्रबंधक, सिटी इंटरनेशनल स्कूल इन्दिरानगर, लखनऊ।
- 6- माई बुक।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)

उप सचिव।



*Bhagawal*  
**PRINCIPAL**  
CITY INTERNATIONAL SCHOOL  
MANAS CITY, INDIRA NAGAR, LUCKNOW

ASSTT./DEPUTY SECRETARY (Aff.)